NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

M.P.A. - 11

राज्य, समाज और लोक प्रशासन

(State, Society and Public Administration)

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Prabhat Kumar*

NEERAJ
PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878   E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 300/-

Content

राज्य, समाज और लोक प्रशासन

(State, Society and Public Administration)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in March-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in August-2021 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in February-2021 (Solved) 1

Question Paper—June, 2019 (Solved) 1

Question Paper—December, 2018 (Solved) 1

Question Paper—June, 2018 (Solved) 1

Question Paper—December, 2017 (Solved) 1

Question Paper—June, 2017 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

1. राज्य का स्वरूप (Nature of State) 1

2. राज्य, समाज और लोक प्रशासन के मध्य संबंध 11
(Relationship between State, Society and Public Administration)

3. राज्य की बदलती भूमिका : मुद्दे व चुनौतियाँ 18
(Changing Role of State: Issues and Challenges)

4. राज्य का उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य 25
(Liberal and Marxist Perspective of State)

5. नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य (Neo-Liberal Perspective) 33

6. गाँधीवादी परिप्रेक्ष्य (Gandhian Perspective) 39

7. नागरिकों और प्रशासन में अंतर्संबंध (Citizens and Administration Inter-relations) 49

8. लोकतांत्रिक जन-आंदोलन : केस अध्ययन 59
(Democratic Public Movement: A Case Study)

9. सामाजिक समता, सहभागिता, लचीलापन तथा स्वायत्तता के बदलते प्रतिमान 67
(Changing Patterns of Social Equality, Participation, Flexibility and Autonomy)

10. सामाजिक सहभागिता : जेंडर, कमजोर वर्ग और पर्यावरण के मुद्दे 73
(Social Participation: Gender, Weaker Sections and Environmental Issues)

11. भारतीय राज्य का बदलता स्वरूप (Changing Nature of Indian State) 81

12. नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और विश्लेषण में नौकरशाही की भूमिका 86
(Role of Bureaucracy in Policy Formation, Implementation and Analysis)

13. भारतीय नौकरशाही का समकालीन संदर्भ 92
(Contemporary Context of Indian Bureaucracy)

14. प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact of Globalisation on Administration) 100

15. पारंपरिक नौकरशाही प्रतिमान को चुनौतियाँ 109
(Challenges to Traditional Bureaucratic Pattern)

16. उभरती अवधारणाएँ–नव लोक-प्रबंधन, सरकार का पुनः निर्माण 115
तथा व्यवसायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकीकरण
(Flourishing Ideas: Neo-Public Management, Reconstruction
of Government and Business Process Re-engineering)

17. सुशासन की अवधारणा (Idea of Better Governance) 121

18. सरकारी संस्थाएँ : सुधार की ओर (Government Institutions: Towards Reforms) 129

19. नागरिक समाज संगठनों की बढ़ती भूमिका 137
(Increasing Role of Civil Society Organisations)

20. संघर्ष समाधान : पुनः व्याख्या (Conflict Resolving: Re-explanation) 144

21. लोक प्रशासन के नैतिक मुद्दे (Ethical Issues of Public Administration) 150

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

राज्य, समाज और लोक प्रशासन

(State, Society and Public Administration)

M.P.A.-11

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-8, 'वैश्वीकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका'

प्रश्न 2. समाज और प्रशासन के मध्य संबंध पर मार्क्सवादी अवधारणा का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-12, 'समाज और प्रशासन के मध्य संबंध : मार्क्सवादी अवधारणा'

प्रश्न 3. राज्य के उदारवादी परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-25, 'राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य'

प्रश्न 4. ''गांधी ने आधुनिक राज्य की उचित समीक्षा की।'' विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-39, 'गाँधी व आधुनिक राज्य'

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) नागरिक घोषणापत्र प्रयास

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-55, 'नागरिक घोषणा-पत्र प्रयास'

(ख) स्वायत्तता व लचीलेपन के प्रतिमान

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-70, 'स्वायत्तता और लचीलेपन के प्रतिमान'

भाग-II

प्रश्न 6. चिल्का आन्दोलन में जन संघर्ष पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-61, 'चिल्का आन्दोलन का केस अध्ययन'

प्रश्न 7. ''सामाजिक न्याय अपने व्यावहारिक पहलू के माध्यम से अधिक प्रभावी बन जाता है।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-78, 'सामाजिक न्याय के व्यावहारिक पहलू'

प्रश्न 8. ''नीति-कार्यान्वयन में नौकरशाही एक केन्द्रीय भूमिका निभाती है।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-88, 'नीति-कार्यान्वयन और नौकरशाही की भूमिका'

प्रश्न 9. सुशासन की अवधारणा तथा विशेषताओं की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-17, पृष्ठ-122, 'सुशासन की अवधारणा', पृष्ठ-124, सुशासन : विशेषताएँ'

प्रश्न 10. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए–

(क) एक पूरक लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में नागरिक समाज

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-104, 'एक पूरक लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में नागरिक समाज'

(ख) राज्य तथा बाजार के बीच संबंध

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-16, पृष्ठ-117, 'राज्य और बाजार : व्यावसायिक प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकीकरण के लिए एक नवीन संबंध'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

राज्य, समाज और लोक प्रशासन

(State, Society and Public Administration)

M.P.A.-11

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : *प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनते हुए किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. राज्य के बदलते परिप्रेक्ष्य की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-3, 'राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य'

प्रश्न 2. राज्य, समाज और लोक प्रशासन के बीच अंतर्संबंधों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-11, 'अवधारणाओं की व्याख्या, लोक प्रशासन व समाज'

प्रश्न 3. 'नव-उदारवाद ने लोक प्रशासन के विषय पर प्रभाव डाला है।' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-37, 'नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रभाव : एक अध्ययन', प्रश्न 1

प्रश्न 4. 'राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधीजी का आदर्श योगदान है।' विस्तृत वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-48, प्रश्न 3

प्रश्न 5. 'नागरिक समाज उन आंदोलनों का आधार है।' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-59, 'नागरिक समाज : जन-आंदोलनों का आधार'

भाग-II

प्रश्न 6. नीति-निर्धारण में नौकरशाही की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-87, 'नीति-निर्धारण में नौकरशाही की भूमिका'

प्रश्न 7. वेबेरियन नौकरशाही की मुख्य विशेषताओं को उजागर कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-92, 'नौकरशाही की विशेषताएँ'

प्रश्न 8. वैश्वीकरण का वर्णन कीजिए तथा लोक प्रशासन पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-14, पृष्ठ-100, 'वैश्वीकरण की अवधारणा', पृष्ठ-101, प्रशासन पर वैश्वीकरण का प्रभाव'

प्रश्न 9. 'राज्य और बाजार के बीच संबंध लगातार बदल रहा है।' स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-19, पृष्ठ-138, 'राज्य, बाजार और नागरिक समाज के मध्य संबंध'

प्रश्न 10. सुशासन के महत्त्वपूर्ण लक्षणों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-17, पृष्ठ-124, 'सुशासन की विशेषताएँ'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

राज्य, समाज और लोक प्रशासन

(STATE, SOCIETY AND PUBLIC ADMINISTRATION)

1

राज्य का स्वरूप

(Nature of State)

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

परिचय

'राज्य' एक विवादास्पद अवधारणा है। राज्य के स्वरूप, ढाँचे, कार्य तथा व्यवहार को लेकर विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद रहा है। राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम मैकियावेली ने 'राज्य' शब्द का प्रयोग किया था। 16वीं शताब्दी के अंत तक यह शब्द राजनीतिक शब्दकोश का हिस्सा बन चुका था। अधिकांश विद्वानों का मत है कि राज्य के बिना परिवार, संस्कृति, कानून, धर्म एवं पारिस्थितिकी जैसे विषयों की व्याख्या करना और उसके आधार पर कोई सिद्धांत निर्मित करना असंभव है। राज्य मानव जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में राज्य को परिभाषित करने के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है; जैसे–निर्मित कानून, सहयोगी मूल्य, बंधुता, मालिकाना, संप्रभु शक्ति अथवा दैवी सम्राट आदि।

प्रस्तुत अध्याय में राज्य की अवधारणा, स्वरूप एवं विषय-क्षेत्र का विवेचन करने के साथ-साथ राज्य संबंधी मुख्य परिप्रेक्ष्यों का भी अध्ययन किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य, समाज और लोक प्रशासन के पारस्परिक संबंधों की भी चर्चा की गई है।

अध्याय का विहंगावलोकन

✎ राज्य की परिभाषा

'राज्य' को परिभाषित करना कठिन है। राज्य एक समाज है जो राजनीतिक रूप से संगठित होता है। राज्य से तात्पर्य ऐसे जनसमूह से है जो एक निश्चित भू-भाग में निवास करता है, जिसकी निजी सरकार होती है, जो सर्वप्रभुतासंपन्न होता है, जो अन्य प्रकार की संस्थाओं से सर्वोपरि होता है, जिसकी आज्ञा मानने के लिए सभी बाध्य होते हैं और जो आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त होता है। कुछ विचारक राज्य को नैतिकता के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो कुछ इसे शोषण-तंत्र के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान राज्य की आध्यात्मिक और अर्द्धधार्मिक व्याख्या भी करते हैं। कुछ विचारकों की दृष्टि में यह सरकार का ही पर्यायवाची है। इस प्रकार राज्य की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। फिर भी राज्य को भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता आदि के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। राज्य को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो भू-भाग एवं एक समुदाय की सदस्यता की व्याख्या करती हो। इसके आंतरिक क्रियाकलापों को संचालित करती हो, अन्य राज्यों के साथ संबंधों को निर्धारित करती हो तथा इसे एक विशेष पहचान एवं एकता प्रदान करती हो।

बॉब जेसप उन प्रश्नों को उठाते हैं जो राज्य संबंधी विवादों को जन्म देते हैं; जैसे–राज्य और नागरिक, सार्वजनिक व निजी, राज्य शक्ति व अल्प शक्ति आदि के बीच क्या संबंध होते हैं। जेसप के अनुसार सभी प्रकार के राजनीतिक संगठनों को राज्य नहीं माना जा सकता और न ही राज्य को केवल एक सरकार, कानून, नौकरशाही या राजनीतिक संस्था के समान माना जा सकता है। नीरा चंढोक का कहना है कि कोई भी परिभाषा पूर्ण रूप से राज्य को परिभाषित करने में समर्थ नहीं है। डेविड ईस्टन का मानना है कि 'राज्य' शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए। 'राज्य' को एक

www.neerajbooks.com

विचार या धारणा के रूप में परिभाषित करना निरर्थक है। निकोस पुलंतसाज राज्य को विभिन्न वर्गों के बीच संबंधों का एक भौतिक संघनन मानते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात पर भी बल देते हैं कि राज्य को केवल इन संबंधों तक ही विश्लेषित नहीं किया जा सकता।

फ्रेडरिक नित्शे के शब्दों में, ''राज्य निष्ठुरों में सबसे निष्ठुर राक्षस है।'' जॉन उरी के अनुसार, "राज्य को एक ऐसे परजीवी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जो प्रभावशाली लोगों के स्वार्थों की पूर्ति करता है।" हीगल की दृष्टि में "राज्य एक नैतिक सत्ता है जहाँ भय या बल का कोई स्थान नहीं होता है।" हीगल राज्य को स्वयं में पूर्ण मानते हैं। उनके अनुसार राज्य ही नागरिक समाज में परिणत होता है। क्रिस्टोफर डब्ल्यू. मौरिस ने राज्य की कुल विशेषताओं को रेखांकित किया है, जो इस प्रकार हैं–

(i) **अंतराल और समय में निरंतरता**–राज्य राजनीतिक संगठनों का समूह होता है और इसकी संस्थाएँ समय के साथ सुदृढ़ होती जाती हैं।

(ii) **उत्कृष्टता**–राज्य की संस्थाएँ इसका निर्माण नहीं करतीं, बल्कि वे उसकी अभिकर्ता होती हैं।

(iii) **राजनीतिक संगठन**–ये ऐसी संस्थाएँ होती हैं, जिनकी सहायता से राजा राज्य का संचालन करता है।

(iv) **सत्ता**–संप्रभु राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र में राजनीतिक सत्ता का सर्वोच्च स्रोत होता है।

(v) **राजभक्ति**–राज्य के प्रति नागरिकों में भक्ति होती है अर्थात नागरिक राज्य के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य भी नागरिकों के प्रति अपने दायित्वों को निभाता है।

नौकरशाही के आदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मैक्स वेबर ने एक शक्तिशाली, स्वतंत्र एवं उदार राज्य की कल्पना की। उनके अनुसार संगठन का नौकरशाही स्वरूप आधुनिक राज्य को दर्शाता है। एक आदर्श राज्य के कार्य उत्तरदायी नौकरशाही द्वारा संपादित किए जाते हैं। लेकिन नौकरशाही केवल समाज की शक्ति-संरचना को प्रदर्शित करता है। शक्ति-संरचना का कोई नैतिक पक्ष नहीं होता, लेकिन उसे वैधता प्राप्त होती है। डेविड हेल्ड के अनुसार आधुनिक राज्य एक निश्चित भू-भाग में शक्ति-प्रयोग को वैधता प्रदान करता है। राज्य का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व इसकी सरकार की वैधता है और कानूनी एकाधिकार द्वारा यह शक्ति-प्रयोग वैध होता है। राज्य की विशेषता इस बात पर निर्भर करती है कि वह समाज में बेहतर शक्ति-संबंधों को स्थापित करे, उसे स्थिरता प्रदान करे और इसके आधार पर समाज को स्थायित्व प्रदान करे।

जर्गन हेबरमास के अनुसार आर्थिक एवं अन्य सामाजिक संबंधों में राज्य के बढ़ते क्रियाकलाप समकालीन पूँजीवाद का एक प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि केवल आर्थिक तथ्यों पर राज्य के निर्णय आधारित नहीं होते हैं। पूँजीवादी राज्य पूँजी में वृद्धि के लिए निश्चित ही प्रयास करेगा और उसका यथासंभव समर्थन करेगा। यदि इस प्रयास में जनकल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है तो वैधता का संकट सामने आ सकता है। वस्तुतः किसी भी सरकार की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह करती है। वैधता का प्रश्न उदार एवं कठोर दोनों प्रकार के राज्यों से जुड़ा होता है। उदार राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता पर दबाव नहीं डालता। उदाहरणस्वरूप, ऐसा राज्य कर के एकत्रीकरण के लिए जनता को दंडित नहीं करता। कठोर राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता पर दबाव डालता है, जैसे–सैनिक अधिनायकतंत्र में जनता पर अनेक प्रकार के दबावों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य इन दोनों स्वरूपों का सम्मिश्रण होता है और राज्य की स्वीकृति के बिना शक्ति का प्रयोग वैध नहीं होता। पुलंतसाज के विचार में आधुनिक राज्य आदर्शात्मक और सांकेतिक वैधता में ज्यादा विश्वास करता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सांकेतिक वैधता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

प्रभुसत्ता अथवा संप्रभुता राज्य का एक अन्य महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है। इसी तत्त्व के कारण राज्य अपने भू-भाग की सीमा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय तथा संस्था पर शासन चलाता है। राज्य के भू-भाग में रहने वाले सभी मनुष्य तथा समुदाय इसके आदेशों का पालन करते हैं और इसी कारण वह बाजार की किसी शक्ति तथा देश के अधीन नहीं रहता। संप्रभुता का अर्थ है–सर्वोच्च शक्ति। राज्य के अतिरिक्त यह किसी अन्य संस्था के पास नहीं होती। संप्रभुता के दो पहलू होते हैं–आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सीमा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक संघ राज्य की शक्ति के अधीन है और उसकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य है। बाह्य संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंध निश्चित करने में, युद्ध और शांति की घोषणा करने में और व्यापार करने में स्वतंत्र होता है। कोई अन्य राज्य उसे कोई काम करने या न करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विदेशी मामलों में राज्य अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों से बँधा होता है, लेकिन ऐसे उत्तरदायित्व राज्य द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किए जाते हैं।

जीन बोडिन ने पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। बोडिन के अनुसार संप्रभुता का तत्त्व राज्य को समाज की अन्य सभी संस्थाओं से अलग करता है। राज्य का स्वरूप केवल संप्रभुता से पहचाना जाता है। उनका कहना था कि कानून द्वारा ही संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। टॉमस हॉब्स के विचार के राज्य की संप्रभुता की कोई सीमा नहीं होती और इसे किसी भी प्रकार की प्रमाणिकता की जरूरत नहीं होती। राज्य केवल पारंपरिक कानूनों के प्रशासन तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह नए कानूनों का निर्माण कर सकता है। टॉमस हॉब्स का कहना था कि संप्रभुता की

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

कुछ सीमाएँ भी होती हैं और उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हॉब्स ने संप्रभुता से प्राकृतिक कानून और ईश्वरीय कानून की सीमाएँ हटाकर यह व्यवस्था की कि कानून उस समय तक कानून नहीं है जब तक संप्रभुताधारी इसका निर्माण करके इसे लागू नहीं करता। एकता, अखंडता, सर्वव्यापकता, निरंकुशता आदि संप्रभुता की प्रमुख विशेषताएँ हैं जो राज्य के भीतर राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति, कानून अथवा समाज में नहीं है।

आगे चलकर संप्रभुता की सीमा निर्धारित करने के संबंध में लॉक, मांटेस्क्यू और इमेनुअल कान्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वस्तुत: इस बात पर बल दिया गया कि राज्य ऐसी संस्था है जिससे व्यक्ति नागरिक समाज से संबंधित होते हैं और उसका व्यक्तियों पर पूरा अधिकार नहीं होता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं खुशी को राज्य की स्वायत्तता के लिए इसे आवश्यक माना गया और इन पर लगे सरकारी प्रतिबंध को हटाया गया। लेकिन 1970 के पश्चात वैश्वीकृत पूँजीवाद के दौर में संप्रभुता का पारंपरिक अर्थ बदल गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन ने विकासशील देशों पर अपनी मौद्रिक एवं राजकीय नीतियाँ लादनी शुरू कीं। संरचनात्मक समन्वय कार्यक्रम ने विकासशील देशों को बहुराष्ट्रीय निगमों पर निर्भर रहने और उसके अनुसार अपनी नीतियाँ बनाने के लिए बाध्य कर दिया।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आधुनिक राज्यों में विश्लेषण को नए सिरे से शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है। सामंतशाही और निरंकुश राजतंत्र के विरोध में जिस राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हुई थी, वह अब विलुप्त होने के कगार पर है। वैश्वीकरण की विचारधारा के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया है कि वर्तमान समय में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो राष्ट्र-राज्य की अवधारणा से पूरी तरह मुक्त है। राष्ट्रीय राज्य के पास अब अपनी राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करने की स्वायत्तता नहीं रही। उनकी नीतियाँ अब विश्व बाजार द्वारा निर्धारित होने लगी हैं। इसी वजह से कुछ विचारकों का यह मानना है कि राष्ट्रीय राज्य पर घोर संकट के बादल मँडरा रहे हैं। वस्तुत: भारत में राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का मुख्य विरोध आर्थिक विकास और राजनीतिक पहचान को लेकर है। एक केंद्रीकृत राज्य द्वारा किए गए आर्थिक बदलाव को वृहद् बाजार, शक्तिशाली नौकरशाही और व्यावसायिक मध्यम वर्ग ही समझ सकता है। लेकिन इस तरह का बदलाव लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता को जन्म देता है। आर्थिक समानता के कारण राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा को क्षति पहुँची है। लेकिन इसके बावजूद यह कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने संप्रभुता को नष्ट किया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण विभिन्न राज्य एक-दूसरे के नजदीक आए और उनके बीच परस्पर सहयोग एवं सौहार्द की भावना जगी है। अंतर्राष्ट्रीय सह-संबंधों ने राज्य को सभी प्रकार से शक्तिशाली बनाया है। वस्तुत: वैश्वीकरण ने राष्ट्रीय राज्यों को कूटनीतिक रूप से अधिक मजबूत बनाया है। इसके अंतर्गत ही एक पूर्ण राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, जिसके उदाहरण इतिहास में कम ही देखने को मिलते हैं।

निल्स कार्लेसन के अनुसार राज्य का विकास 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी विशेषता थी। इस विकास के अंतर्गत राज्य की कल्याणकारी अवधारणा का विकास हुआ। अधिकांश स्वतंत्रता, समानता, न्याय और लोकतंत्र आदि सभी अवधारणाएँ कल्याणकारी राज्य में आकर विलीन हो गई। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में तेजी से फैली और धीरे-धीरे इसका स्वरूप विस्तृत होता चला गया। इनकी कुछ खास विशेषताएँ भी सामने आईं। कुछ पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों में कभी-कभी तो सार्वजनिक क्षेत्र में किया जानेवाला व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आधा तक हो जाता है और कभी-कभी कर वसूली आय की आधी हो पाता है। राज्य का हस्तक्षेप निजी क्षेत्रों में जरूरत से ज्यादा होने लगा है और नागरिक समाज प्रभावित होने लगा है। लेकिन पियरे की दृष्टि में लोक प्रशासन ऐसी कुँजी है जो राज्य को नागरिक समाज से जोड़ती है। अत: राज्य के स्वरूप को बदलते परिप्रेक्ष्य में देखने एवं विश्लेषित करने की जरूरत है।

✎ राज्य के स्वरूप के बदलते परिप्रेक्ष्य

1960 के दशक में अनेक कारणों से राज्य पुन: राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रमुख सिद्धांत बन गया। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में राज्य के सिद्धांत को एक प्रामाणिक पहचान मिली और यह सैद्धांतिक रूप से श्रेष्ठ बन गया। राज्य के स्वरूप को मुख्य रूप से परिभाषित करने वाली तीन विचारधाराएँ अथवा परिप्रेक्ष्य हैं–उदारवादी परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य और नव-उदारवादी परिप्रेक्ष्य।

उदारवादी परिप्रेक्ष्य–अनेक विद्वानों का मत है कि उदारवादी परिप्रेक्ष्य में ही राज्य का आविर्भाव हुआ। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि राज्य एक मानव-निर्मित संस्था है, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए बनाया है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का स्वयं मालिक है और इसके लिए वह समाज के प्रति आभारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उन्हीं नियमों और दायित्वों द्वारा सीमित की जा सकती है, जो दूसरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। उदारवाद का सीधा अर्थ है कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छा पर निर्भर न रहे। इसका तात्पर्य यह है कि सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति केवल उन बंधनों को छोड़कर जो व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने हितों की पूर्ति के लिए कायम करता है। इस प्रकार उदारवादी परिप्रेक्ष्य 'प्राकृतिक अवस्था' के विश्लेषण पर आधारित है। इसमें मनुष्य का एक विशिष्ट दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाता है। यह अवस्था मनुष्य को एक सुरक्षात्मक व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कि वह अपने जीवन, संपत्ति एवं व्यक्तिगत हितों की रक्षा कर सके। साथ ही, सेवाओं एवं वस्तुओं को उपलब्ध कराने हेतु एक सरल प्रणाली का

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

विकास किया जा सके। उदारवादी परिप्रेक्ष्य ने 'कानून के शासन' को सही ठहराया, ताकि इसके तहत नागरिकों को स्वेच्छाचारी अथवा निरंकुश शासन से सुरक्षा मिल सके और व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने हितों की पूर्ति कर सके।

उदारवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वानों में जॉन लॉक, मांटेस्क्यू, डेविड ह्यूक, एडम स्मिथ, जेम्स मिल और जेर्मी बेंथम प्रमुख थे। इन विद्वानों ने लोकतंत्र का समर्थन किया। इनका मानना था कि लोकतंत्र राज्य की बढ़ती हुई शक्तियों से व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तंत्र है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के अनुसार सभ्य जीवन का इच्छुक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से यह समझौता करता है कि दूसरे भी अपनी मनमानी करना छोड़ दें और अपनी तृष्णा की पूर्ति करते समय राज्य के नियमों से बँधे रहें। हॉब्स के विचार में यह समझौता जनता और किसी प्रभुसत्ताधारी में नहीं हुआ, बल्कि हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से या सभी व्यक्तियों से हुआ। वस्तुतः सामाजिक समझौते के तहत व्यक्ति ने अपनी शक्तियों को एक तीसरे दल के अधीन कर दिया, जो इस समझौते का हिस्सा नहीं था और फिर उस दल से अपनी शक्तियों को प्राप्त किया। परिणामस्वरूप एक ही समय में एक एकात्मक राज्य और एक सरकार का निर्माण हुआ।

जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सद्भावना, सहयोग, शांति और सुरक्षा की अवस्था है। इसके बावजूद उन्होंने व्यक्तियों के बीच होने वाले अविश्वास और विरोध की संभावना से इंकार नहीं किया। इसलिए उन्होंने एक तर्कसंगत एवं सीमित समझौते की अवधारणा प्रस्तुत की, जो जीवन की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समानता को स्थापित कर सके। वास्तव में, यह संपत्ति का सामाजिक स्वरूप था, जिसने जॉन लॉक को एक ऐसे राज्य का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें सीमित सरकार और निजी अधिकारों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है।

रूसो के अनुसार, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य सामान्य रूप से सुखी, स्वावलंबी और संतुष्ट था। इस समय मनुष्य का जीवन सरल था, उसकी माँगें सीमित थीं, जिसकी पूर्ति सहज ही हो जाती थी। लेकिन निजी संपत्ति और आर्थिक विषमताओं के कारण प्राकृतिक अवस्था की शांति भंग हुई। ऐसी स्थिति में एक ऐसी औचित्यपूर्ण सत्ता की स्थापना आवश्यक हो गई जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान कर सके। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया ताकि एक नए स्वतंत्र एवं समानतावादी समाज की स्थापना की जा सके। रूसो ने संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह सहभागी लोकतंत्र पर बल दिया। रूसो की स्वशासन की धारणा काफी आक्रामक थी। इसके तहत उन्होंने उदारवादी लोकतंत्र की इस मान्यता को चुनौती दी कि लोकतंत्र एक विशेष प्रकार के राज्य का नाम है जो शायद ही नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होता है।

जेर्मी बेंथम का विचार था कि कानून के बिना सभ्य जीवन संभव नहीं है। कानून ने निर्माण का उसने एक मापदंड रखा था–"अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख" (Greater happiness for greater number)। उनका कहना था कि सरकार को वही कानून बनाना चाहिए जिसमें दुःख कम हो और सुख अधिक हो तथा अधिक-से-अधिक लोगों का कल्याण हो। उनके अनुसार सुख और दुःख को क्रमबद्ध तरीके से मापा जा सकता है। जिस कार्य में सुख का पलड़ा भारी हो, वही कार्य उचित है। उन्होंने स्वतंत्रता के स्थान पर कल्याण को राज्य का अंतिम लक्ष्य माना और एक ऐसी संस्था की स्थापना पर बल दिया जो कानूनी व्यवस्था का समर्थन करे। बेंथम को उपयोगितावाद का प्रवर्तक माना जाता है, जो आधुनिक उदारवाद की एक प्रमुख अवधारणा है।

एडम स्मिथ ने अहस्तक्षेप के सिद्धांत और राज्य के न्यूनीकरण का समर्थन किया। उन्होंने आर्थिक दृष्टिकोण से राज्य के हस्तक्षेप को अनुचित ठहराया। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं करता, अपना हित अपनी इच्छानुसार पूरा करने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी सामर्थ्य और अवसरों का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करेगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वह अपने हितों की पूर्ति करेगा, लेकिन परोक्ष रूप से अपने व्यापार और उत्पादन से समाज को भी लाभ पहुँचाएगा। एडम स्मिथ का विचार था कि राज्य को केवल अन्याय से सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यों एवं संस्थाओं की स्थापना से संबंधित कार्य करना चाहिए। उनके विचार में राज्य को केवल तीन कार्य करने चाहिए–

(i) समाज को हिंसा और दूसरे देशों के आक्रमण से बचाना,

(ii) समाज में प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अन्याय और अत्याचार से बचाना,

(iii) सामाजिक स्तर पर कुछ ऐसे सार्वजनिक कार्य करना जो व्यक्तिगत स्तर पर इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि उनसे किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता।

जॉन स्टुअर्ट मिल ने समाज कल्याण के लिए राज्य द्वारा कुछ अधिक कार्य करने का समर्थन किया। उनके अनुसार, राज्य एक उपयोगी संस्था है, जिसे समाज कल्याण हेतु ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे व्यक्ति और समाज के कल्याण के मार्ग के उत्पन्न बाधाएँ दूर हों। उन्होंने राज्य को एक ऐसी नैतिक संस्था के रूप में प्रस्तुत किया जो धर्म के प्रकार और व्यक्ति में नागरिक गुणों की श्रेष्ठता के प्रचार से संबंधित हो।

उदारवादी विचारधारा का एक मुख्य तत्त्व बहुलवादी सिद्धांत है। बहुलवाद इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के संघों का अपना-अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ समान रूप से प्रभावशाली और एक-दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें कोई भी विशेष संघ दूसरों से अधिक महत्त्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com